

नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2013 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

• उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
3. श्री कपिलेश्वर विश्वास, अपर समाहर्ता, मुंगेर।
4. श्री हीरामुनि प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नजारत उपसमाहर्ता, मुंगेर।
5. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, व0उ0समा0, मुंगेर।
6. गुलाम मोहम्मद, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
7. श्री के0के0 यादव, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
8. श्री रविशंकर उरॉव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
9. श्री विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर।
10. एहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास शाखा, मुंगेर।
11. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
12. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।

• कार्यालय कार्यवश अथवा अवकाश के कारण अनुपस्थित पदाधिकारी :-

13. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
14. श्री भानू प्रकाश, प्रभारी व0उ0समा0, आपदा प्रबंधन, मुंगेर।
15. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0, बन्दोवस्त-सह-जिला राजस्व शाखा, मुंगेर।
16. श्री आलोक कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
17. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर।

दिनांक 23.07.13 से प्रारंभ होकर 22.08.13 तक चलनेवाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला-2013 में मुंगेर जिला अवस्थित सरकारी एवं निजी धर्मशालाओं में कॉवरियों/श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत, शौचालय इत्यादि उपलब्ध सुविधाओं के नियमित अनुश्रवण करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता हेतु निम्न निदेश दिए गए :-

1. श्रावणी मेला अवधि में सरकार द्वारा कार्यान्वित विकासात्मक योजनाओं तथा उपायुक्त, देवघर के पत्रांक 1190, दिनांक 18.07.2013 से प्राप्त Map System से संबंधित सी0डी0 की पर्याप्त संख्या की प्रति कराते हुए दिनांक 23.07.2013 तक मनिया एवं कुमरसार (सरकारी) धर्मशाला तथा 13 सूचना केन्द्रों (प्रदर्शनी/झाँकी स्थल) में प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध कराने का निदेश जिला सूचना जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को पूर्व में दिए जाने के बावजूद निरीक्षण के दौरान उपरोक्त सुविधाएँ नहीं पाई गई। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि मेला अवधि में यथोपयुक्त स्थानों पर सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाए।
2. अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुआ कि कॉवरिया पथ में लगाए गए 13 प्रदर्शनी/झाँकी स्थल में एकरारनामा के अनुसार संवेदक द्वारा जेनरेटर की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण कॉवरियों/श्रद्धालुओं द्वारा उक्त प्रदर्शनी/झाँकी में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है तथा कलाकार भी उपस्थित नहीं थे। अतः जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर उपरोक्त कार्य को त्वरित गति से पूर्ण कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को संध्या 7:00 बजे तक अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को पूर्व में श्रावणी मेला हेतु विभाग द्वारा बांका जिला को उपलब्ध कराए गए पोस्टर/पम्पलेट इत्यादि सामग्रियों को बांका जिला के प्रभारी पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर पर्याप्त संख्या में प्राप्त कर सभी प्रदर्शनी/झाँकी स्थल पर अभी तक नहीं लगाए जाने के निमित्त

पुनश्च निदेश दिया जाता है कि दिनांक 30.07.2013 तक निश्चित रूप से उपरोक्त कार्य पूर्ण कर लिए जाएँ।

4. जिले में प्रा0स्वा0के0/अति0प्रा0स्वा0के0/आंगनबाड़ी केन्द्र/कला भवन/सामुदायिक भवन/पंचायत सरकार भवन/विद्यालय भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन/लैंड बैंक इत्यादि के लिए भूमि उपलब्धता हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक प्रखंड स्तर किए जाने की तिथि माह अगस्त, 2013 में ही निर्धारित करते हुए आयोजित कराने का निदेश अपर समाहर्ता, मुंगेर को दिया गया।
5. टी0एच0आर0 एवं मनरेगा दिवस में जांच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त दिवसों में विद्यालय/आंगनबाड़ी में संचालित मध्याह्न भोजन योजना/कन्या विवाह योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि की भी जांच अवश्य करें तथा अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ताकि दोषी कर्मियों/व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
6. आर0टी0पी0एस0 अन्तर्गत संचालित लोक सेवाओं में अनाधिकृत संलिप्त अवैध व्यक्तियों (दलालों) को पकड़ने के लिए वरीय उपसमाहर्ता नियमित रूप से उपयुक्त समय पर छापेमारी करेंगे।
7. अपर समाहर्ता, मुंगेर को निदेश दिया गया कि मुंगेर जिलान्तर्गत किला क्षेत्र में अवस्थित खास महाल की खाली जमीन को चिन्हित करते हुए सुस्पष्ट विस्तृत आंकड़ा सहित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।
8. स्थापना उपसमाहर्ता एवं आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि जिले में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी एवं कार्यपालक सहायक के पदों पर नियोजन हेतु प्राप्त आवेदनों को समेकनोपरान्त अर्हतायोग्य अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा की तिथि निर्धारित कर जिला सूचना केन्द्र में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर उपकरण व्यवस्थित कर आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. GP/PP/APP/SPP इत्यादि के मानदेय भुगतान मद में प्राप्त राशि, मांग के अनुरूप कम होने के कारण कई सरकारी अधिवक्ताओं का मानदेय भुगतान लंबित है। अतः प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता, जिला विधि शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि मांग के अनुसार प्राप्त राशि के व्ययोपरान्त उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजते हुए अवशेष राशि की मांग करें।
10. प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर, नीलाम पत्र को निदेश दिया गया कि प्राथमिकता देते हुए विद्युत विभाग से संबंधित सभी नीलाम पत्र वादों की अद्यतन सूची अंचल अधिकारियों से प्राप्त कर समेकित कर अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायें ताकि उपरोक्त नीलाम पत्र वादों में सन्निहित राशि की वसूली की कार्रवाई यथाशीघ्र की जा सके।

इसके अतिरिक्त पूर्व निर्गत कार्यवाहियों में प्रदत्त निदेशों को पुनः उल्लेखित करते हुए नियमित अनुश्रवण/अनुपालन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित पदा0 को दिया गया :-

1. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह के वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल,

स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यों इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि0, दिनांक 31.05.2013 के अनुरूप प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता (Mentor) को निदेश दिया गया था कि वे कम-से-कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड-सह-अंचल जाएंगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। परन्तु किसी भी नामित वरीय उपसमाहर्ता द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक में भाग लें तथा बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध कराएँ, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर एवं कार्यकुशल नहीं हैं। सहजता हेतु उक्त बैठक में समीक्षा हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :-

- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपन्न समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
- वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 06(छह) प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की घटकवार वास्तविक संख्या, मार्च, 2013 तक राशि प्राप्त करने वाले पेंशनधारियों की संख्या के आधार पर संकलित करवाकर उपलब्ध करवाना।
- वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।
- बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों का भी स्थलीय निरीक्षण करना तथा निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
- आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।
- विभिन्न स्रोतों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि स्वीकृत्योपरान्त अभी तक वितरित नहीं की गई है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले प्रकाश में आने पर तत्क्षण यथोचित कार्रवाई का प्रतिवेदन देना।
- विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत अंचल अधिकारी, यथा-सदर, जमालपुर, तारापुर एवं

खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा०द०वि० की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्ता, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।

- ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि खास महाल क्षेत्र में अनाधिकृत तौर पर नए मकान का निर्माण किया जा रहा है जिसपर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर एवं अंचल अधिकारी, सदर, मुंगेर नियमानुसार सी०आर०पी०सी० की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी इसका सतत् पर्यवेक्षण करते हुए अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।
  - दिनांक 01.06.2013 से मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन करते हुए प्रकाशन, दावा आपत्ति प्राप्त करने, निष्पादन करने एवं 01.08.13 से 15.08.13 तक प्रकाशित करने तथा भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने का कार्यक्रम प्राप्त है। सभी वरीय उपसमाहर्ता इस कार्य का प्रखंड/अंचल भ्रमण के दौरान नियमित समीक्षा कर प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवाना।
  - बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण अन्तर्गत प्रपत्र-2 एवं 3 का सत्यापन संबंधित हल्का कर्मचारी/राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी के स्तर से करायें तथा साप्ताहिक बैठकों में कार्य के प्रगति की समीक्षा कर प्रतिवेदित करना।
  - प्रखंड/पंचायत शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के प्रगति की भी समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना। इसकी प्रगति अत्यन्त असंतोषजनक है।
  - राशन किरासन वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे जिसमें मुख्य रूप से यह जांच करेंगे कि अवितरित कूपन एवं वितरण पंजी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को वापस उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं?
2. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर विशेष तौर पर ध्यान देते हुए घटकवार पेंशनधारियों की उम्रवार संख्या सहित सूची यथशीघ्र सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त प्रथम तिमाही के आवंटन को उपावंटित करने की कार्रवाई पूर्ण करेंगे।
  3. प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना एवं आपदा के लंबित ए०सी० विपत्रों के लिए डी०सी० विपत्र तैयार कर समायोजन हेतु संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार करेंगे।
  4. प्रत्येक माह होने वाली टेक होम राशन (THR) के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, मुंगेर द्वारा अवगत कराया गया कि परिलक्षित अनियमितता के निमित्त कुछ आंगनबाड़ी सेविकाओं से समानुपातिक राशि के कटौती की कार्रवाई की गई है और कई सेविकाओं/सहायिकाओं को चयनमुक्त किया गया है। यह खेदजनक है कि THR दिवस में कई प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जाता है, अतः विशेष कार्य पदाधिकारी, मुंगेर को निदेशित किया गया कि तिथिवार आयोजित THR दिवस में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रतिवेदनों को संकलित करते हुए यह सूची तैयार करें कि किन पदाधिकारियों द्वारा उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है ताकि उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

5. आई0टी0 प्रवधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों क. नियमित भ्रमण करते रहेंगे ताकि कार्य संस्कृति में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित हो सके।
6. महादलित श्रेणी के वैसे लाभुक, जिन्हें जमीन दिया गया है, परन्तु इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला है तथा इंदिरा आवास तो मिला है, परन्तु जमीन का कागजात नहीं बना है, ऐसे मामलों की समीक्षा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी करते हुए via-versa कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पूर्व निदेश के बावजूद इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं है। अतः इस कार्य का सतत् अनुश्रवण अपर समाहर्ता, मुंगेर एवं उप विकास आयुक्त, मुंगेर सुनिश्चित करते हुए पूर्व में दिए गए निदेशों एवं विभागीय पत्रों के अनुरूप एक समेकित सूची तैयार करेंगे ताकि इसे Booklet के रूप में प्रकाशित कराया जा सके।
7. भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन की प्रगति में तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ अपर समाहर्ता, मुंगेर एवं प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, मुंगेर सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक.....1449...../गो0, दिनांक...31/07/2013

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/ उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक.....1449...../गो0, दिनांक...31/07/2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।